



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082022-238351
CG-DL-E-24082022-238351

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3810]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 2022/भाद्र 2, 1944

No. 3810]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2022/BHADRA 2, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2022

का.आ. 3984(अ).—अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन नियम, 2020 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) का.आ. 770(अ) तारीख 20 फरवरी, 2020 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों को उक्त प्रारूप उपबंधों को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तारीख से साठ दिन की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, सभी प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) धारा 3 की उप धारा (1) के खंड (v) और उप धारा (2) के खंड (vii), धारा 6 की उप धारा (1) के खंड (ग) और उप धारा (2) के खंड (घ), धारा 8, धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन नियम, 2022” है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना – (1) - ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे: (i) अपशिष्ट बैटरी के संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, नवीकरण और पुनर्चक्रण में सम्मिलित उत्पादक, व्यापारी, उपभोक्ता, इकाई;

ii. रसायन, आकार, मात्रा, भार, सामग्री संघटन और उपयोग पर ध्यान दिए बिना सभी प्रकार की बैटरी;

(2) ये नियम निम्नलिखित में उपयोग में लाई गई बैटरी पर लागू नहीं होते हैं, (i) हाथियार, आयुधों, युद्ध सामग्री सहित आवश्यक सुरक्षा हितों की रक्षा और विशेष रूप से सेना के प्रयोजनों से आशयित संबंध उपकरण।

ii. अंतरिक्ष (अंतरिक्ष खोज करने हेतु) में भेजे जाने हेतु अभिकल्पित उपकरण।

3. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) 'अधिनियम' से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) 'मोटरयान बैटरी' से केवल मोटरयान स्टार्टर, प्रकाश या दहन ऊर्जा के लिए उपयोग में आने वाली कोई बैटरी अभिप्रेत है;

(ग) 'बैटरी' से संचायक सहित नया या नवीकृत सेल और/या बैटरी और/या उनके घटक है, जो रासायनिक ऊर्जा से प्रत्यक्ष संपरिवर्तन द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा का कोई स्रोत है और जिसमें निपटान योग्य प्राथमिक और/या द्वितीयक बैटरी सम्मिलित अभिप्रेत है;

(घ) 'बैटरी पैक' से सेलों और/या बैटरी का कोई ऐसा सेट या मॉड्यूल है जो बाहरी आवरण के भीतर इस प्रकार से संयोजित या समाहित है कि एक ऐसी संपूर्ण इकाई का निर्माण करे जिसे अंत्य-उपयोक्ता उसे अलग करने या खोलने का इरादा न करे;

(ङ.) 'बैटरी सामग्रियों' से निकेल, कोबाल्ट, सीसा, लीथियम जैसी धातुओं और अन्य सामग्रियों जैसे कि प्लास्टिक, कागज आदि सहित बैटरी में अंतर्विष्ट सामग्रियां अभिप्रेत है।

(च) 'सेल' से इलैक्ट्रोड, इलैक्ट्रोलाइट, कंटेनर, टर्मिनलों और सेपरेटरों के संयोजन से गठित आधारभूत कार्यात्मक इकाई है जो रासायनिक ऊर्जा के प्रत्येक संपरिवर्तन द्वारा उत्पादित ऊर्जा का कोई स्रोत है; और जिसमें प्राथमिक/या द्वितीयक सेल भी हैं।

(छ) 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' से जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन गठित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है;

(ज) 'उपभोक्ता' से किसी बैटरी का कोई अंत्य उपयोक्ता अभिप्रेत है;

(झ) 'निपटान' से कोई प्रचालन अभिप्रेत है जिसके फलस्वरूप पुनः उपयोग, पुनः प्राप्ति, नवीकरण या पुनर्चक्रण नहीं होता है और जिसमें, अन्य बातों के साथ भौतिक-रासायनिक और/या जैविक शोधन, और/या सुरक्षित भराई में निक्षेप सम्मिलित है;

(ञ) 'विद्युत यान बैटरी' से विशेष रूप से सड़क परिवहन के लिए हाईब्रिड और विद्युत यानों को संकषण प्रदान कराने हेतु डिजाइन की गई कोई बैटरी अभिप्रेत है;

(ट) 'ईओएल बैटरी' से बैटरी जिसका उपयोग कर लिया गया है, जिसके उपयोग की अवधि समाप्त हो गई है और जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है;

- (ठ) 'पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन' से अपशिष्ट बैटरी का प्रबंधन इस रीति से करना कि अपशिष्ट बैटरी में अंतर्विष्ट किसी पदार्थ से उत्पन्न किन्हीं प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। इनमें नवीकरण, और/या पुनर्चक्रण सम्मिलित हो सकता है;
- (ड) 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' (ईपीआर) से बैटरी के किसी उत्पादक के लिए अपशिष्ट बैटरी के पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन का उत्तरदायित्व अभिप्रेत है;
- (ढ) 'ईपीआर-रजिस्ट्रीकरण' से ईपीआर हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किसी उत्पादक का रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है;
- (ण) 'सुविधा केंद्र' से ऐसा कोई अवस्थान अभिप्रेत है जिसमें अपशिष्ट बैटरी के संग्रहण/भंडारण/पृथक्करण/ मरम्मत करने, भंजक/पुनर्चक्रण/निपटान की आनुषंगिक प्रक्रियाओं को किया जाता है;
- (त) 'प्ररूप' से इन नियमों के परिशिष्ट में दिया गया कोई प्ररूप अभिप्रेत है;
- (थ) परिसंकटमय अपशिष्ट से परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अधीन परिभाषित परिसंकटमय अपशिष्ट अभिप्रेत है।
- (द) 'औद्योगिक बैटरी' से वहनीय बैटरी, विद्युत यान बैटरी और मोटरयान बैटरी के सिवाय औद्योगिक उपयोगों के लिए डिजाई की गई कोई बैटरी अभिप्रेत है। इनमें सीलबंद बैटरी (वहनीय बैटरी के सिवाय), सील न की गई बैटरी (मोटरयान बैटरी के सिवाय) सम्मिलित हो सकती हैं;
- (ध) 'विनिर्माता' से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में यथापरिभाषित कोई व्यक्ति या इकाई या कंपनी या कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) में यथापरिभाषित कोई कारखाना अभिप्रेत है जिसके पास बैटरी और/या उनके घटकों के विनिर्माण की सुविधाएं हैं;
- (न) 'वहनीय बैटरी' से कोई ऐसी बैटरी अभिप्रेत है जो सीलबंद है, 5 कि.ग्रा. से कम है, औद्योगिक प्रयोजनों, विद्युत यान के लिए या मोटरयान बैटरी के रूप में उपयोग करने के लिए नहीं बनी है;
- (प) 'उत्पादक' से कोई ऐसा निकाय अभिप्रेत है जो निम्नलिखित में संलग्न है:
- i. अपने ब्रांड के अधीन पुनर्नवीकृत बैटरी, जिनमें उपकरणों में प्रयुक्त बैटरी सम्मिलित हैं, सहित बैटरी का विनिर्माण और विक्रय; या
 - ii. अन्य विनिर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उसके अपने ब्रांड के अधीन उत्पादित पुनर्नवीकृत बैटरी, जिनमें उपकरणों में प्रयुक्त बैटरी सम्मिलित हैं, सहित बैटरी का विक्रय; या
 - iii. बैटरी और बैटरी को सन्निविष्ट करने वाले उपकरणों का आयात;
- (फ) 'सार्वजनिक अपशिष्ट प्रबंधन प्राधिकरण' से इन नियमों के प्रयोजन के लिए, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगरपालिका और उनकी ओर से सेवाएं देने वाले अभिकरण अभिप्रेत है।
- (ब) 'पुनर्चक्रणकर्ता' से अपशिष्ट बैटरी के पुनर्चक्रण में संलग्न कोई निकाय है;
- (भ) 'नवीकरण' से प्रयुक्त बैटरी को दूसरी बार नए रूप में उपयोग हेतु उनकी मरम्मत, री-कंडीशनिंग और री-पर्सिंग अभिप्रेत है;
- (म) 'नवीकरणकर्ता' से पुनर्नवीकरण में संलग्न कोई निकाय अभिप्रेत है;
- (य) 'अनुसूची' से इन नियमों के साथ संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है;

- (र) 'राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 के अधीन गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है और इसमें संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति भी सम्मिलित हैं;
- (ल) 'भण्डारण' से अपशिष्ट बैटरी का भण्डारण अभिप्रेत है;
- (व) 'शोधन' से पुनर्चक्रण के लिए अपशिष्ट बैटरी के संबंध में संपादित कोई कार्यकलाप अभिप्रेत है;
- (श) 'प्रयुक्त बैटरी' से ऐसी बैटरी और/या उसके घटक अभिप्रेत है जिसका उपयोग किया गया है और जिसका और प्रयोग किया जा सकता है और उसका पुनर्नवीकरण यथोचित है;
- (ष) 'अपशिष्ट बैटरी' में सम्मिलित है :
- प्रयुक्त और/या ईओएल बैटरी और/या उनके घटक/कल-पुर्जे/ भाग /उपभोज्य सामग्री जो प्रकृति में परिसंकटमय हो या नहीं भी हो सकते हैं;
 - प्री-कंज्यूमर ऑफ स्पेक बैटरी और उनके घटक/कल-पुर्जे/ भाग /उपभोज्य सामग्री;
 - वे बैटरी जिनके समुचित उपयोग की तारीख समाप्त हो गई है;
 - वे बैटरी जिन्हें उपयोगिता द्वारा परित्यक्त कर दिया गया है;

उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में यथा परिभाषित हैं।

4. उत्पादक के कृत्य – (1) उत्पादक की बाजार में उपलब्ध कराई गई बैटरी के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) बाध्यता होगी जिससे उनके पुनर्चक्रण/नवीनीकरण की बाध्यताओं को प्राप्त करना सुनिश्चित हो;
- (2) उत्पादक को, बाजार में उपलब्ध कराई गई बैटरी के लिए अनुसूची-11 में यथा उल्लिखित संग्रहण और पुनर्चक्रण और/या नवीनीकरण लक्ष्यों (ईपीआर लक्ष्यों) को पूरा करना होगा।
- (3) उत्पादक द्वारा संग्रहित की गई अपशिष्ट बैटरी को किसी पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाएगा और कचरा पाटन स्थलों में नहीं भेजा जाएगा या भस्म नहीं किया जाएगा।
- (4) उत्पादक को प्ररूप 1(क) के अनुसार ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण करना होगा। रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र, प्ररूप 1(ख) के अनुसार जारी किया जाएगा।
- (5) उत्पादक, ईपीआर-रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए, इसकी अवधि समाप्त होने से साठ दिन पहले प्ररूप-1(क) फाइल करेगा;
- (6) उत्पादक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ईपीआर-रजिस्ट्रीकरण में अंतर्विष्ट सूचना में किंही परिवर्तनों में और ईपीआर-रजिस्ट्रीकरण में निर्दिष्ट बैटरी के बाजार में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में किसी स्थाई समाप्ति के बारे में सूचित करेगा।
- (7) उत्पादक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में विनिर्मित बैटरी के लिए प्रत्येक वर्ष की 30 जून की तारीख तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप-1(ग) में ईपीआर योजना प्रस्तुत करेगा। इसमें केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से बैटरी की मात्रा, भार के साथ-साथ बैटरी की सामग्रियों के शुष्क भार की जानकारी होगी।
- (8) उत्पादक, इन नियमों के प्रकाशन से तीन मास के भीतर वित्तीय वर्ष 2022-23 में विनिर्मित बैटरी के लिए ईपीआर योजना प्ररूप-1(ग) में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा;

(9) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए अपशिष्ट बैटरी के संग्रहण के लिए एक पृथक अपशिष्ट केंद्र विकसित करने के लिए उत्पादक, निक्षेप वापसी प्रणाली या बॉय बैक या किसी अन्य मॉडल जैसी योजनाओं का संचालन कर सकते हैं।

(10) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए, उत्पादक अपशिष्ट बैटरी के संग्रहण, पुनर्चक्रण या नवीनीकरण हेतु स्वयं को या प्राधिकृत किसी अन्य इकाई को संलग्न कर सकता है। तथापि, ईपीआर लक्ष्यों को पूरा करने की बाध्यता उत्पादक की ही रहेगी।

(11) उत्पादक, अगले वित्तीय वर्ष की जून, 30 तक प्ररूप-3 के अनुसार, ईपीआर के अधीन बाध्यताओं को पूरा करने के लिए संग्रहित और पुनर्चक्रित/नवीकृत अपशिष्ट बैटरी के संबंध में प्ररूप 3 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिटर्न फाइल करेगा। रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रकों के व्यौरे, जिनसे ईपीआर प्रमाण-पत्र प्राप्त किए गए हैं, भी प्रदान किया जाएगा।

(12) उत्पादक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह :-

- अनुसूची-1 में यथा विहित प्रतिबंधों और लेबल लगाने की अपेक्षाओं को पूरा करे;
- बैटरी/अपशिष्ट बैटरी की सुरक्षित संभलाई सुनिश्चित करें जिससे कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को कोई क्षति न हो;

(13) उत्पादक अपशिष्ट बैटरी की संभलाई और प्रबंधन में सम्मिलित किसी इकाई द्वारा इन नियमों के किसी उल्लंघन को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संज्ञान में लाएगा।

(14) उत्पादक की नीचे दी गई सारणी के अनुसार, नई बैटरी में घरेलू रूप से पुनर्चक्रित सामग्रियों के न्यूनतम उपयोग के संबंध में बाध्यता होगी। बैटरी में पुनर्चक्रित सामग्रियों के न्यूनतम उपयोग का आकलन, बैटरी के कुल शुष्क भार की बावत किया जाएगा। आयातित बैटरी के मामले में, उत्पादक को अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग की गई पुनर्चक्रित सामग्रियों की ऐसी मात्रा के माध्यम से या निर्यात करके पुनर्चक्रित सामग्री की ऐसी मात्रा के माध्यम से न्यूनतम उपयोग की बाध्यता को पूरा करना होगा।

क्र.सं.	बैटरी का प्रकार	किसी बैटरी के कुल शुष्क भार में से पुनर्चक्रित सामग्रियों का न्यूनतम उपयोग (प्रतिशत में)			
		2027-28	2028-29	2029-30	2030-31 और उसके बाद
1.	पोर्टेबल	5	10	15	20
2.	इलैक्ट्रिक वाहन	5	10	15	20
		2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 और उसके बाद
3.	मोटरयान	35	35	40	40
4.	औद्योगिक	35	35	40	40

(15) उत्पादक इन नियमों के अधीन आज्ञापक किए गए रजिस्ट्रीकरण के बिना किसी अन्य इकाई के साथ ब्यौहार नहीं करेगा।

5. उपभोक्ता के कृत्य – (1) उपभोक्ता का यह उत्तरदायित्व होगा कि:-

- अपशिष्ट बैटरी को अन्य अपशिष्ट प्रवाहों विशेष रूप से मिश्रित अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट प्रवाहों से पृथक करके बाहर करना;